



एकल नारी की आवाज

अंक : 38 , माह : जुलाई, वर्ष : 2015, निजी प्रसार हेतु

महिला किसान अन्नदाता के रूप में कृषि की रीढ़ की हड्डी - कृषि मंत्री

किसान एकल महिलाओं का राज्य स्तरीय सदस्य सम्मेलन आयोजित



सम्मेलन में माननीय मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी जी को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हुए किसान बहनें।



सम्मेलन में किसान एकल बहनों को कृषि, डेटरी एवं पशुपालन की जानकारी हेतु पैनल चर्चा करते हुए अधिकारीगण।

किसान एकल महिलाओं की मुख्य मांगें

► किसान महिलाओं के लिए मजबूत कृषि निति बने, किसान महिलाओं की पहचान स्थापित हो, राष्ट्रीय कृषि निति के तहत राज्य में किसान की परिभाषा तय की जाये, विधवा महिलाओं के पति ने खेती पर ऋण लिया हो और मृत्यु हो गयी तो ऋण माफ किया जाये, खेती के लिए मुफ्त खाद बीज एकल महिलाओं का प्राथमिकता से मिले, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, गांवों में एकल महिलाओं को कृषि मित्र बनाया जाये व लघु किसान महिलाओं को सहकारियों से जोड़कर ऋण दिया जाये।

जयपुर, 17 जून। “महिला किसान अन्नदाता के रूप में कृषि की रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश में 50 से 60 प्रतिशत खेती का कार्य जिसमें बीज बोने से लेकर कटाई तक ज्यादातर कार्य महिलाएँ ही करती हैं और साथ ही परिवार को भी संभालती हैं। महिलाएँ चाहे तो बड़े से बड़ा बदलाव कर सकती हैं क्रांति ला सकती हैं, यह उद्बोधन दिनांक 17 जून, 2015 आदर्श हितकारिणी ट्रस्ट, सेवा सदन, राजा पार्क में एकल नारी शक्ति संगठन द्वारा तीन दिवसीय राज्य स्तरीय किसान एकल महिला

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में माननीय कृषि व पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किसान एकल महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहे। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में राजस्थान के 32 जिलों की 145 किसान एकल महिलाओं ने भाग लिया।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी सरकार व प्रशासन इन बहनों के साथ है, जो भी मदद इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे, हम संगठन के साथ हैं और जो भी एकल महिलाओं से सम्बन्धित सरकार की सामाजिक

सुरक्षा योजनाएँ हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करेंगे और सम्मेलन में किसान एकल महिलाओं की जो भी समस्याएँ निकलकर आती हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत करवायेंगे। इसी के साथ जैविक खेती, खेती के साथ पशुपालन व ग्रीन हाउस के बारे में भी प्रकाश डाला गया।

डा० जिनी श्रीवास्तव द्वारा वर्तमान में देश में खेती व किसानों की स्थिति व महिला किसानों की स्थिति पर प्रकाश डाला जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है हमारे देश में 79 प्रतिशत महिलाएँ खेती का काम करती हैं व 63 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष हैं, 81 प्रतिशत कृषि करने वाली महिलाएँ एससी., एसटी., ओबीसी से हैं। 83 प्रतिशत लघु व सीमान्त किसान हैं, साथ ही नेशनल कमीशन विमेन के डाटा के अनुसार बताया गया कि 12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में महिला मुखिया हैं जो एकल महिला हैं, खेत मजदूरी पर 50 प्रतिशत मजदूरी का चुकारा महिलाओं को व 75 प्रतिशत चुकारा पुरुषों को किया जाता है जबकि महिलाएँ ज्यादा काम करती हैं। फिर भी महिलाओं की किसान के रूप में पहचान नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कृषि की स्थिति देश में ठीक नहीं होने के कारण किसान पलायन कर रहे हैं, चरागाह भूमि व जंगल भी समाप्त हो रहे हैं।

सम्मेलन में किसान एकल महिलाओं को छोटे समूह में विभाजन करके उनकी समस्याओं व चुनौतियों के बारे में जाना जिसमें मुख्य रूप से समस्याएँ निकल कर आई कि - खाद व बीज की समस्या है। सरकार वितरण करती है तो बड़े लोग उसका फायदा उठाते हैं हम तक नहीं पहुँचता,

-शेष पृष्ठ 2 पर...

शिक्षा का सवाल, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल

अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चों का हक है।

✿ यदि किसी बच्चे की पहुँच शिक्षा तक नहीं है तो जरूरी हो जाता है कि शिक्षा उस बच्चे तक पहुँचे!

● स्वामी विवेकानन्द



अच्छी शिक्षा हर बच्चों का हक है। बिना किसी भेदभाव, बिना कोई समझौता किए। यदि सरकारी शिक्षा की बुरी हालत ऐसी ही बनी रही तो हम ऐसी पीढ़ी गढ़ने के साक्षी बनेंगे जो न पढ़ने में सक्षम है, न अपना भला बुरा समझने में और ना ही अपनी चुनौतियों और गरीबी से उबरने में। यदि आज हम सब ने मिलकर पहल नहीं की तो कुछ सालों बाद जो कमजोर-लाचार पीढ़ी हमें नजर आयेगी, उसका बोझ हम सब पर होगा और यह सवाल भी हमारे सामने होगा कि आखिर हमने मिलकर क्या किया। सिर्फ दुख जताया या कुछ पहल भी की? कभी बदलाव की जदोजहद का हिस्सा बने या नहीं।

हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी है। हमारी नींव ही कमजोर होगी तो

इमारत कैसी होगी? देश के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है ऐसे में बदलाव का सबसे उपयोगी उत्प्रेरक नागरिकों का जुड़ाव और भागीदारी बढ़ाना है जिससे हम अपने पड़ोस के विद्यालयों पर निगरानी रख सकें और हम प्रदेश के हर एक विद्यालयों में नागरिकों, अभिभावकों के बीच एक प्रभावी संवाद कायम कर सकें।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका मिडिया एक्शन ग्रुप (मेग) व सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा इस एक वर्षीय अभियान (मार्च 2015 से फरवरी 2016 तक) की शुरुआत की गई है। जिसमें सूचना के अधिकार को माध्यम बनाते हुए नागरिकों द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की निगरानी की जायेगी। इस अभियान के तहत कुछ आरटीआई अर्जियां राज्य के सभी विद्यालयों में वहां के विद्यार्थी

-शेष पृष्ठ 2 पर...

संगठन की बहनों की मदद से गुलाबी बाई को मिला न्याय

गुलाबी बाई पत्नि स्व० चम्पालाल निवासी नरपत खेड़ा, ब्यावर, जिला अजमेर की रहने वाली एकल बहन है। गुलाबी बाई संगठन की पुरानी सदस्य है। गुलाबी बाई को नरपत खेड़ा में इन्द्रा आवास योजना का लाभ मिला तब गुलाबी बाई ने उस राशि से अपनी जमीन पर एक कमरा बनवा लिया। इस कमरे के पीछे गुलाबी बाई के हिस्से की खाली जमीन थी। इस जमीन में से उसने रास्ता दे रखा था।

एक दिन गुलाबी बाई के पड़ोसी ने उसकी खाली जमीन पर दीवार बना कर उसका आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद करने पर गुलाबी बाई ने उसे रोका तो वह रास्ता खोलने के लिए राजी नहीं हुआ। उस समय काफी कहासुनी हुई और उसने गुलाबी बाई को गाली-गलौच भी की। इसके बाद वह शराब पीकर आता और गुलाबी बाई को गंदी-गंदी गालियां देता। गुलाबी बाई परेशान हो गई थी। इस पर गुलाबी बाई की मां जो कि संगठन की सदस्य है उन्होंने यह बात मिटिंग में उठाई और

संगठन से न्याय दिलाने की बात कही। इस पर मिटिंग में कार्यकर्ता जशोदा बाई ने निर्णय लिया कि पहले मामले की जांच की जायेगी यदि बात सत्य पायी जाती है तो आगे कार्यवाही करेंगे। उसी दिन मिटिंग में संगठन कार्यकर्ता एवं संगठन पांच बहनों जिसमें मूली बाई, सीता बाई, कमला बाई, सुनीता व सरोज बाई को मामले की जांच हेतु गुलाबी बाई के घर भेजा गया। वहां पर गुलाबी बाई का पड़ोसी नहीं मिला लेकिन उसकी पत्नि ने संगठन की बहनों से काफी गाली-गलौच की और कहा कि यह रास्ता हम नहीं खोलेंगे।

इस पर संगठन की बहनों ने उसे काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी। फिर संगठन की बहनों ने आपस में निर्णय लिया और संगठन के लेटर पेड़ पर शिकायत लिखावाकर जवाजा थाने में एफ०आई०आर० लिखावा दी। वहां थानेदार को संगठन के बारे में जानकारी देते हुए थाने वालों से कहा कि आप जल्द से जल्द कार्यवाही करें। इस पर उसी समय थाने से गाड़ी गांव में गई और पड़ोसी

और उसकी पत्नि को थाने में लेकर आई। यहां थाने में जब पुलिस वालों ने पड़ोसी को समझाया तो वह माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई। मैं रास्ता खोल दूंगा।

इस पर संगठन की बहनों ने 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाया कि वह गुलाबी बाई की जमीन में से दीवार हटा देगा और कभी भी इसे परेशान नहीं करेगा। यहां से लौटने के पश्चात् पड़ोसी ने गांव वालों और सरपंच के सामने स्वयं दीवार हटाई। यह सब कार्यवाही होने के पश्चात् गुलाबी बाई ने संगठन की बहनों को धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी न्याय मिल जायेगा। यह सब संगठन की शक्ति का ही कमाल है। संगठन नहीं होता तो मुझे आज न्याय नहीं मिलता। इसके पश्चात् अगली मिटिंग में गुलाबी बाई के बारे में पूछा गया तो गुलाबी बाई की मां ने बताया कि वह अब शांति से रह रही है। पड़ोसी अब उसे परेशान नहीं करता है।

-पृष्ठ 1 का शेष... किसान एकल महिलाओं का राज्य स्तरीय

बिजली समय पर नहीं आती, पानी की समस्या है, यदि फसल खराब होती है तो मुआवजा पूरा नहीं मिलता, इससे दूसरों के खेतों में आधोली व बन्धुआ रहकर काम करना पड़ता है, कई बार बच्चों को भी लगाना पड़ता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, महिला किसानों को कम मजदूरी, खेती के लिए ब्याज पर पैसा लेना, महिलाओं के क्रेडिट कार्ड नहीं व कृषि सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी का अभाव, आवारा पशु फसल खराब कर देते हैं, पति की मृत्यु के बाद बैंक लोन व अन्य लोन महिला से वसूल जाते हैं इस प्रकार की मुख्य समस्याएँ निकल कर आयी। जिनका विश्लेषण श्रीमती रीना शर्मा ने किया। किसान एकल महिलाओं की पहचान व जमीनी हक के बारे में अजमेर से आई संगठन की सदस्यों ने कटपुतली शो प्रस्तुत किया।

सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य किसान एकल महिलाओं की समस्याओं व चुनौतियों की पहचान व विश्लेषण करना, किसान एकल महिलाओं की पहचान व जमीन पर मालिकाना हक, उन्नत खेती व खेती के साथ पशुपालन बागवानी फल सब्जी लगाकर आय बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी देना आदि पर राज्य समन्वयक श्रीमती चन्द्रकला शर्मा ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन संगठन कार्यकर्ता श्रीमती कमल पथिक व रीना शर्मा द्वारा किया गया। दूसरे दिन कृषि विशेषज्ञों के एक पेनल द्वारा कृषि, पशुपालन, बागवानी व उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं के लिए एक मजबूत कृषि निति हो व किसान महिलाओं की एक पहचान स्थापित हो साथ ही राष्ट्रीय किसान निति की परिभाषा के आधार पर राजस्थान में किसानों को परिभाषित किया जाये" यह विचार किसान महिला मंच, अहमदाबाद से आई सुश्री हेरल ने सम्मेलन के समापन सत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहे।

कृषि विभाग से एडि० डायरेक्टर श्री शरद जोधा व कृषि एवं पशुपालन विभाग के विषय विशेषज्ञों के

एक पेनल द्वारा महिलाओं को उन्नत खेती, जैविक खेती, बागवानी, पशुपालन व किसान कॉल सेन्टर के बारे में जानकारी दी गई। मजदूर किसान शक्ति संगठन से कमल टाक द्वारा नरेगा के तहत अपना खेत अपना काम के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान आजिविका विकास परिषद से सुश्री रत्ना वर्मा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा महिलाओं को महिला किसान सशक्तिकरण योजना के बारे में जानकारी दी गई। कट्स संस्थान, जयपुर से धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा महिलाओं को जलवायु परिवर्तन के कारण व कैसे हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं? इसके बारे में प्रकाश डाला गया।

पीयूसीएल से सुश्री कविता श्री वास्तव द्वारा खाद्य सुरक्षा व भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में संभागियों को बताया गया। उन्होंने कहा कि जमीन ही नहीं होगी तो कैसे खाद्य सुरक्षा जब किसान को पूरा मूल्य नहीं मिलेगा, उससे कम्पनीयों के नाम पर जमीने अधिग्रहण कर लेगे तो किसानों का क्या होगा। सरकार को केस ट्रांसफर की जगह खाद्य सामग्री देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राजस्थान बजट अध्ययन संस्थान, समन्वयक नेसार अहमद ने महिलाओं को जेण्डर बजट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि में जेण्डर बजट बढ़ाना चाहिए। साथ ही इसी वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कृषि बजट 3.80 प्रतिशत कम है जो कि 200 करोड़ कम है।

सम्मेलन के मूल्यांकन में 32 जिलों से आई किसान एकल महिलाओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस सम्मेलन से हमें बहुत जानकारी मिली है और हम सोचते थे कि किसान तो आदमी ही होते हैं और आज हमने जाना कि हम महिलाएँ खुद किसान हैं, और हमें एक किसान होने के नाते हमारे पूरे हक अधिकार मिलने चाहिए। सम्मेलन के समापन सत्र में एकल किसान महिलाओं की कुछ मुख्य मांगे सरकार के निकाली गई जिसका एक ज्ञापन बनाकर संगठन का एक प्रतिनिधि मण्डल कृषि मंत्री जी व सहकारिता मंत्री अजय किलक से मिले और ज्ञापन सौंपा गया।

-पृष्ठ 1 का शेष... शिक्षा का सवाल...

अथवा उनके अभिभावकों अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जुलाई माह में दाखिल की जायेगी।

अभी तक एकल नारी शक्ति संगठन की सैकड़ों की संख्या में सदस्यों ने राजस्थान के स्कूलों में आरटीआई लगाकर इस अभियान की पहल में अपनी भागीदारी निभाई। तो आप भी आइये और हमारे साथ इस बदलाव की पहल शिक्षा के सवाल में अपनी भागीदारी निभाइये ...

इस मुहिम में भागीदार -

- 100 समाजसेवी संगठन, नागरिक समाज
- 400 पत्रिका संवाददाता
- 1200 विद्यार्थी वॉलंटियर्स
- 2000 से अधिक सक्रिय नागरिक

आप भी इस मुहिम में जुड़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

शिक्षा के सवाल के अर्न्तगत आरटीआई के तहत पूछे जाने वाले सवाल -

- स्कूल की प्रत्येक कक्षा में प्रवेश एवं ठहराव।
- स्कूल में अध्यापकों के कुल स्वीकृत पद एवं उपलब्धता।
- स्कूल में खेल मैदान, साफ पीने का पानी, बिजली, शौचालय व उनकी स्थिति, साफ सफाई आदि।

नोट : यदि आप इस अभियान के तहत अपने आस-पास किसी भी विद्यालय से सूचना मांगना चाहते हैं तो सादा कागज पर भी प्रधानाध्यपक के नाम एक अर्जी लिखकर स्कूल सम्बन्धी सारी सूचनाएँ मांग सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो पीछे लिखे एकल नारी शक्ति संगठन के फोन नम्बर या फिर अपने नजदीकी ब्लॉक के पत्रिका संवाददाता से बात कर सकते हैं।

महिला हिंसा व बाल विवाह रोकथाम पर सेमिनार आयोजित



सेमिनार के दौरान जानकारी देते हुए उपमहापौर श्रीमती सुनिता व्यास

कोटा, 30 मार्च। “महिलाएँ कभी भी अबला नहीं थी और ना ही हैं, उन्होंने स्वयं को अबला समझकर अबला बनाया है। हमें छोटी-छोटी बातों पर कानून का सहारा ना लेकर पहले खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए व जरूरत पड़ने पर जरूर कानून की सहायता लें” यह उद्बोधन दिनांक 30 मार्च, 2015 को एकल नारी शक्ति संस्थान द्वारा आयोजित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, कोटा शहर, झाला हाउस, सूरजपोल, कोटा में आयोजित बाल विवाह रोकथाम व महिला घरेलू हिंसा संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में दिया गया। कार्यशाला में उन विवाहित जोड़ों ने भाग लिया जिनका केन्द्र द्वारा समझाईश के माध्यम से

जीवन में बदलाव आया है, साथ ही संस्था/संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 96 संभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

राज्य समन्वयक श्रीमती चन्द्रकला शर्मा द्वारा कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य बताये गये जिसमें केन्द्र के चार वर्ष सफलतापूर्ण संचालन के लिए अनुभवों का आदान-प्रदान व केन्द्र की चार वर्षों के कार्य के बारे में जानना, आगे केन्द्र को और गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए सुझाव लेना, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण व बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रयास पर चर्चा कर बताये गये।

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपमहापौर सुनिता व्यास, महिला अधिकारिता निदेशक राजकुमारी हाडा, एकल नारी शक्ति संस्थान अध्यक्ष कंकू बाई, पुलिस उपाधीक्षक छगन सिंह राठौड़ व महिला थानाधिकारी गजेन्द्र सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

महिला अधिकारिता निदेशक श्रीमती राजकुमारी हाडा द्वारा अपने संबोधन में कहा कि जिन समाजों में बाल विवाह हो रहे हैं उनकी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है एवं बालविवाह की सूचना प्रशासन या किसी भी स्वयं सेवी संस्था, संगठनों को सूचना दें, इसके लिए आपका नाम गुप्त रखा जायेगा। केन्द्र परामर्शदात्री उमा झाला व ज्योति सुवालका द्वारा केन्द्र के कार्यों व उद्देश्यों व चार वर्षों के केन्द्र की कार्य रिपोर्ट साझा करते हुए

बताया कि केन्द्र में चार वर्षों में 2194 केस रजिस्टर्ड हुये जिसमें 2185 केसों उचित परामर्श, सलाह, मार्गदर्शन व सहयोग द्वारा निष्पादित किये गये। एडीएम सिटी श्रीमती सुनिता डांगा द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाएँ हर क्षेत्र में कामयाब है नाकाम नहीं, सोच बदलेगी सब बदल जायेगा।

एडवोकेट श्रीमती कल्पना शर्मा द्वारा महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कानून की जानकारी दी गई। उपाधीक्षक छगन सिंह राठौड़ व महिला थानाधिकारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र का कार्य सराहनीय है इससे हमें बहुत मदद मिलती है। इसके साथ ही कार्यक्रम में आये प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की बिल्डिंग की जर्जर हालत से अवगत करवाया गया जिसमें केन्द्र अभी संचालित है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित संस्थान अध्यक्ष कंकू बाई, सचिव पुष्पाकंवर कोषाध्यक्ष कमलेश शर्मा व स्वयं सेवी संस्था से अनवार अहमद खान, पार्श्व युधिष्ठिर चानसी, साबिर भाई ने भी अपने विचार व्यक्त किये। जिन दम्पतियों के जीवन में केन्द्र पर समझाईश के माध्यम से बदलाव आये है उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त कर महिला सुरक्षा केन्द्र के कार्य को सराहा एवं धन्यवाद दिया और कहा कि जहां हम एक दूसरे को देखना पसन्द नहीं करते थे, तलाक के कगार पर थे आज फिर साथ है। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता हैमलता गांधी द्वारा किया गया।

हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं

संगठन द्वारा राजस्थान सरकार के साथ की गई एडवोकेसी के मुद्दे व मांगे -

दिनांक 12 मई, 2015 को राजस्थान सरकार के मंत्रियों व सचिवों के साथ संगठन की बहनों द्वारा एकल महिला के मुद्दों पर पैरवी की गई जिसमें बहनों द्वारा संगठन की बहनों की मुख्य समस्याओं को अवगत करवाते हुए उनकी मुख्य समस्याओं व मुख्य मांगों को एक ज्ञापन के रूप में लिखकर अवगत करवाया गया।

हमारी मांगें हैं :-

1. “राजस्थान सरकार की आजिविका मिशन की निति” में एकल महिलाओं के लिए शिक्षा, उन्न, व रोजगार प्रशिक्षण का चयन में प्राथमिकता के आधार पर निति में विशेष बदलाव किया जाना चाहिए। क्योंकि संगठन व गांव मे ज्यादा एकल महिलाएँ पढ़ी लिखी नहीं हैं और उन्न के मापदण्ड में भी बदलाव 16-35 वर्ष के स्थान पर 16 से 45 या 50 वर्ष हो व नये कोर्स भी इसमें जोड़े जायें।
2. उच्च शिक्षा के लिए एकल महिला के बच्चों को छात्रवृत्ति/फैलोशिप : गरीब एकल महिलाओं के बच्चों के लिए बाहरवी कक्षा के उपरान्त उच्च शिक्षा में मदद हेतु छात्रवृत्ति/फैलोशिप का प्रावधान किया जाये, जैसा प्रावधान अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए रखा गया है।
3. शौचालय निर्माण : जिस घर में गरीब एकल महिला मुखिया है उनको शौचालय निर्माण हेतु राशि एडवांस दी जाये, या सरकार टेन्डर देकर स्वयं शौचालय निर्माण करवायें, क्योंकि पहले शौचालय बनाने के लिए गरीब एकल महिलाओं

के पास एडवांस पैसा नहीं होता। और ऐसी हजारों की संख्या में एकल महिलाएँ हैं जिनके पैसे के अभाव के कारण शौचालय नहीं बने।

4. विधवा की पुत्री विवाह के मिलने वाली अनुदान सहायता राशि में वृद्धि : विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर समाज कल्याण विभाग द्वारा 10,000 रु की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है, यह सहायता राशि बढ़ाकर 20,000 रु की जानी चाहिये। और विधवा महिला के साथ परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला की पुत्रीयों को भी लाभ देने का प्रावधान रखा जाये।
 5. सभी गरीब एकल महिलाओं को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रति व्यक्ति 15 किलो अनाज दिया जाये।
 6. जो एकल महिलाएँ टैक्स भुगतान करती हैं, के अलावा सभी विधवा व एकल महिला हेतु पेंशन की राशि 500 रु से बढ़ाकर 1000 रु की जाये।
 7. राजस्थान में शराब बन्दी की जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं पर हिंसा होने का यह सबसे बड़ा कारण है।
 8. नरेगा में एकल महिलाओं के लिए पूरी मजदूरी मिले यह सुनिश्चित की जाये साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं को पढ़ाने साक्षरता से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जाये।
- इस प्रकार मंत्रियों व सचिवों के साथ हुई पैरवी सकारात्मक रही एवं उन्होंने मांगों को जायज मानते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया।

1 जून महिला सशक्तिकरण दिवस

महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए संगठन द्वारा 1 जून को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पिछली बार की तरह इस बार भी 1 जून महिला सशक्तिकरण दिवस संगठन की बहनों व अन्य संगठन, संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा राजस्थान के 33 जिलों के 140 ब्लॉकों में धूमधाम से मनाया गया।

इस अवसर पर संबोधनकर्ता के रूप में संगठन पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रमुख, महिला सरपंचों, महिला वार्ड पंच व संगठन की सशक्त महिलाओं ने महिला मुद्दों के साथ अपनी बात को मजबूती से रखा।

“बन जा बहना झांसी रानी खत्म करो यह जुलूम कहानी”, “नारी शक्ति जिन्दाबाद”, “हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिंगारी हैं” इस प्रकार के जोश भरे नारों व गीत जैसे “बहना चैत सके तो चैत जमानो आयो चैतान रा” के साथ संगठन की सदस्यों ने कोटा एवं उदयपुर कलस्टर में 1 जून सशक्तिकरण दिवस मनाते हुए सभाएँ आयोजित की व रैली निकालकर अपनी मुख्य समस्याओं का ज्ञापन दिया।

इस प्रकार सशक्तिकरण दिवस के दिन कोटा व उदयपुर कलस्टर में जिला स्तर पर रैली व संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

बहनों, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा वर्तमान में विभिन्न प्रकार के नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आप अपनी योग्यता एवं रुचिअनुसार भाग लेकर अपने कौशल को निखार सकती हैं एवं स्वयं व अपने बच्चों को रोजगार के द्वारा अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं।

यहां पर आपकी जानकारी हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची दी जा रही है साथ ही जिलेवाईज जिला प्रबन्धक से संपर्क हेतु संपर्क नम्बर दिये जा रहे हैं।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम योजना की जानकारी हेतु जिलेवाईज संपर्क नम्बर			
क्र.सं.	जिला	जिला प्रबन्धक का नाम	संपर्क नम्बर
1.	अजमेर	परिवेक्षित जैन	7726007749
2.	अलवर	प्रवीन के० आर्या	7726007732
3.	बांसवाड़ा	गिरिश पांचाल	7726007774
4.	बांरा	चैतन्य शर्मा	7726007735
5.	बाड़मेर	विकास समर	7726007744
6.	भरतपुर	सत्यवीर सिंह	7726007730
7.	भीलवाड़ा	महेन्द्र सिंह तंवर	7726007728
8.	बीकानेर	धीरज कुमार	7726007734
9.	बून्दी	संदीप जोशी	7726007764
10.	चित्तोड़गढ़	अमित शर्मा	7726007726
11.	चूरु	भुवनेश गौतम	7726007738
12.	दौसा	संदीप कौशिक	7726007740
13.	धौलपुर	मनीश शर्मा	7726007729
14.	झुंझारपुर	भागवती लाल जोशी	7726007756
15.	हनुमानगढ़	विशाल वर्मा	7726007773
16.	जयपुर	अंकुर शर्मा	7726007741
17.	जैसलमेर	ऋषि दत्त थानवी	7726007752
18.	जालोर	राजेन्द्र सिंह सोलंकी	7726007757
19.	झालावाड़	जावेद मो० शेख	7726007755
20.	झुझनू	दिनेश कुमार शर्मा	7726007746
21.	जोधपुर	हितेन्द्र सिंह चौहान	7726007758
22.	करौली	अभिषेक कुमार शर्मा	7726007748
23.	कोटा	मनोरथ सिंह ठाकुर	7726007742
24.	नागौर	गंगाशरण गुप्ता	7726007747
25.	पाली	चिन्मय जैन	7726007754
26.	प्रतापगढ़	रामेश्वर लाल	7726007751
27.	राजसमन्द	सुनील कुमार	7726007736
28.	सवाईमाधोपुर	डॉ. पंकज कुमार वर्मा	7726007733
29.	सीकर	विरंजी लाल चंदेल	7726007753
30.	सिरोही	ओम सिंह	7726007803
31.	श्रीगंगानगर	सीटू सिंह	7726007739
32.	टोंक	कुशल किशोर शर्मा	7726007727
33.	उदयपुर	आशीष अजमेरा	7726007737

नोट : प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची को अंग्रेजी से हिन्दी में एकल महिलाओं के समझने योग्य भाषा में अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी भाषा की सूची को ही मान्य समझा जाये। अधिक जानकारी हेतु दिये गये जिला प्रबन्धक फोन नम्बर पर संपर्क करें।

क्र० सं०	क्षेत्र/पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण की समय सीमा (दिन/घण्टे)	प्रशिक्षणाधीन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	कृषि एवं बागवानी		
1.	ट्रेक्टर की मरम्मत और सर्विस करना	54/324	5वीं पास
2.	पावर ट्रिलर की मरम्मत, रखरखाव एवं संचालन	69/414	5वीं पास
3.	हाईड्रोलिक प्रणाली की ओवरहॉलिंग एवं मरम्मत	54/324	5वीं पास
4.	पोषा की कटाई के उपकरणों की मरम्मत, संचालन एवं रखरखाव	64/384	5वीं पास
5.	फसल काटने के कम्पाईन हार्वेस्टर उपकरण का संचालन	64/384	5वीं पास
6.	कृषि मशीनरी के उपकरण किराये पर लेना	54/324	10वीं पास
7.	पौधशाला प्रबन्धन	44/264	5वीं पास
8.	संरक्षित खेती	54/324	8वीं पास
9.	छिड़काव और बूंद-बूंद सिंचाई उपकरणों का तकनीशियन	44/264	8वीं पास
10.	कृषि जानकार	44/264	10वीं पास
11.	उद्यानिकी जानकार	44/264	10वीं पास
12.	छिड़काव एवं फर्टिगन उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	29/174	5वीं पास
13.	बागवानी एवं फूलों की खेती	54/324	8वीं पास
14.	मशरूम खेती	19/114	5वीं पास
15.	कृमि और कृमि खाद	19/114	5वीं पास
16.	फूलवाला	44/264	5वीं पास
2	स्वास्थ्य देखभाल		
17.	घरेलू सहायक (घरुमोती की देखभाल)	44/264	8वीं पास
18.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	95/564	10वीं पास
3	पशुपालन एवं उनसे संबंधित		
19.	पशु जानकार	44/264	10वीं पास
20.	डेयरी प्रबन्धन	54/324	8वीं पास
21.	कृषि मर्यादा सह पशु चिकित्सक	64/384	10वीं पास
22.	पछ्छी पालन	44/264	5वीं पास
23.	मुर्गी पालन	44/264	5वीं पास
4.	मधुमक्खी पालन		
24.	मूल मधुमक्खी पालन सहायक	37/222	5वीं पास
5.	बांस निर्माण		
25.	बांस प्रसंस्करण	57/342	5वीं पास
26.	घटाई की बुनाई	40/240	5वीं पास
27.	बांस हस्तशिल्प (बांस से कलाकृतियों का उत्पादन)	87/522	5वीं पास
6.	सीढ़ीय निखार एवं बालों की कटिंग		
28.	मूल सीढ़ीय एवं बाल काटना	29/174	8वीं पास
29.	मालिश चिकित्सक	39/234	8वीं पास
30.	मेकअप कलाकार	44/264	8वीं पास
31.	वेहरे की चिकित्सा	49/294	8वीं पास
32.	बाल रंगना	49/294	8वीं पास
33.	बाल रंगना	39/234	8वीं पास
34.	हेयर कटिंग विशेषज्ञ	49/294	8वीं पास
35.	सीढ़ीय चिकित्सा एवं बालों की स्टाईल (स्तर-1)	87/522	10वीं पास
36.	सीढ़ीय चिकित्सा एवं बालों की स्टाईल (स्तर-2)	87/522	10वीं पास
37.	बाल, त्वचा एवं श्रंगार में एप्लिकेट पाठ्यक्रम	112/672	8वीं पास
38.	दुल्हन मेकअप के कलाकार	54/324	8वीं पास
7	व्यापार एवं वाणिज्य		
39.	गांव में रनिंग एवं खुदरा की दुकान	60/360	8वीं पास
8	गलिया		
40.	हाथों से निर्मित मुच्छेदार कालीन निर्माण	44/264	5वीं पास
41.	उद्यमिता और निर्यात प्रबन्धन	84/504	10वीं पास
9	निर्माण		
42.	सहायक कारिगर	54/324	5वीं पास
10	विजली		
43.	घरेलू उपकरणों की मरम्मत	44/264	8वीं पास
44.	घर में लाइट फिटिंग	44/264	8वीं पास
45.	ट्रांसफॉर्मर की वाईडिंग	44/264	8वीं पास
46.	आर्मचर की वाईडिंग	44/264	8वीं पास
47.	एसीओ/डीसीओ मोटर की रिवाईडिंग	44/264	8वीं पास
48.	विजली के उपकरणों की मरम्मत	44/264	8वीं पास
11	इलेक्ट्रोनिक्स		
49.	बुनियादी विजली-मरम्मत और विजली आपूर्ति का रखरखाव व इन्वर्टर व शुपीआएस का रखरखाव	24/144	10वीं पास
50.	डीसीएमओ सिस्टम का रखरखाव व स्थापित करना	34/204	10वीं पास
51.	इलेक्ट्रॉनिक परिक्षण उपकरणों का रखरखाव व मरम्मत	64/384	10वीं पास
52.	इंटरलॉक सिस्टम की मरम्मत व रखरखाव	49/294	10वीं पास
53.	सेल फोन टॉवर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव व मरम्मत	64/384	10वीं पास
54.	पीओ एवं वायरी तंत्र का रखरखाव व मरम्मत	44/264	10वीं पास
55.	मोबाइल की मरम्मत	50/300	10वीं पास
56.	फोटो कोपी मशीन व फैक्स मशीन की मरम्मत और रखरखाव	44/264	10वीं पास
12	फैशन डिजाईनिंग		
57.	बटिक छपाई विशेषज्ञ	87/522	7वीं पास
58.	टाई एवं डाई विशेषज्ञ	87/522	7वीं पास
59.	ब्लॉक छपाई	87/522	7वीं पास
13.	खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण		
60.	मूल खाद्य संरक्षण	44/264	5वीं पास
61.	बेकर एवं हलवाई	57/342	8वीं पास
62.	दूध एवं डेयरी उत्पादों को बनाने वाले सहायक	57/342	10वीं पास
63.	खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाने वाले सहायक	57/342	10वीं पास
64.	फलों एवं सब्जियों का संरक्षण, प्रसंस्करण एवं डिब्बाबंद करना	44/264	5वीं पास
65.	फलों एवं सब्जियों को सुखाकर, निर्रजिकरण, सिरके एवं तेल के द्वारा संरक्षण	44/264	5वीं पास
14	परिधान बनाना		
66.	हाथ की कढ़ाई	39/234	5वीं पास
67.	मशीन द्वारा कढ़ाई प्रचालक	39/234	5वीं पास
68.	दर्जी (मूल सिलाई प्रचालक)	49/294	5वीं पास
69.	सजाने के लिए - कपड़ों पर स्वयं का कार्य	104/624	5वीं पास
70.	सजाने के लिए - कसीदा कारी चित्रकार	104/624	5वीं पास
71.	सजाने के लिए - जर्दोजी विशेषज्ञ-जरी	104/624	5वीं पास
72.	सजाने के लिए - जर्दोजी विशेषज्ञ-अनुक्रम	104/624	5वीं पास
73.	सजाने के लिए - जर्दोजी विशेषज्ञ-कांच	104/624	5वीं पास
74.	सजाने के लिए - जर्दोजी विशेषज्ञ-धातु जर्दोजी	104/624	5वीं पास
75.	सजाने के लिए - जर्दोजी विशेषज्ञ-ऊन/पीकू	104/624	5वीं पास
76.	सजाने के लिए - जर्दोजी विशेषज्ञ-आईना	104/624	5वीं पास
77.	सजाने के लिए - हस्तकार्य विशेषज्ञ-अभिरूपण	104/624	5वीं पास
78.	सजाने के लिए - हस्तकार्य विशेषज्ञ-टुकड़े जोड़ना	104/624	5वीं पास
79.	सजाने के लिए - हस्तकार्य विशेषज्ञ-विभिन्न कौशल का समूह	104/624	5वीं पास
80.	जिम-जोग मशीन की कढ़ाई	117/702	8वीं पास

81.	परिधान क्षेत्र में मशीनों का रखरखाव	54/324	8वीं पास
82.	कम्प्यूटर से कढ़ाई मशीन प्रचालक	39/234	10वीं पास
83.	परिधान काटने वाला	94/564	8वीं पास
84.	परिधान जांचने वाला	84/504	8वीं पास
85.	कुशल सिलाई प्रचालक	84/504	8वीं पास
86.	विशेष सिलाई मशीन प्रचालक	94/564	10वीं पास
87.	बच्चों का दर्जी	84/504	8वीं पास
88.	महिला दर्जी	119/714	8वीं पास
89.	युरुष दर्जी	84/504	8वीं पास
15	हस्तशिल्प एवं स्थानीय संसाधन आधारित कोशल		
90.	हस्तशिल्प-श्रीया कार्य	54/324	5वीं पास
91.	हस्तशिल्प-कैक्टरी में चमड़े के सामान का उत्पादन	30/180	5वीं पास
92.	हस्तशिल्प-लाख की बुडिया एवं कलाकृतियों का उत्पादन	30/180	5वीं पास
93.	हस्तशिल्प-टेराकोटा / मिट्टी के सामान	54/324	5वीं पास
94.	हस्तशिल्प-ब्यू पोटरी	60/360	5वीं पास
95.	हस्तशिल्प-प्लास्टर ऑफ पैरिस की मूर्तियां	54/324	5वीं पास
96.	हस्तशिल्प-लकड़ी के कलात्मक सामान का उत्पादन	54/324	5वीं पास
16	गृह सज्जा-आभूषण कला		
97.	नकली आभूषण के कित निर्माता	17/102	5वीं पास
98.	कुन्चन आभूषण निर्माता	44/264	5वीं पास
99.	कुन्चन आभूषण सेट निर्माता	50/300	5वीं पास
100.	मंदिर आभूषण सेट निर्माता	57/342	5वीं पास
101.	दुल्हन आभूषण सेट निर्माता	57/342	5वीं पास
17	सत्कार		
102.	रसोईया- फास्ट फूड	34/204	5वीं पास
103.	रसोईया- तंदूरी व्यंजन	34/204	5वीं पास
104.	रसोईया- चाईनीज (शाकाहारी एवं मांसाहारी)	34/204	5वीं पास
105.	रसोईया- दक्षिण भारतीय व्यंजन	34/204	5वीं पास
106.	रसोईया- हलवाई	34/204	5वीं पास
107.	रसोईया- रोटी वाला	54/324	5वीं पास
108.	डोसा बनाने वाला	20/120	5वीं पास
109.	विरयानी विशेषज्ञ	20/120	5वीं पास
110.	कबाब बनाने वाला	20/120	5वीं पास
111.	चाट बनाने वाला	20/120	5वीं पास
18	भारतीय मिठाईयां, नमकीन और खाद्य		
112.	परिचर-जातीय भारतीय मिठाई, नमकीन एवं खाद्य	54/324	5वीं पास
113.	सहायक कारीगर-बंगाली मिठाई	84/504	5वीं पास
114.	कारीगर-बंगाली मिठाई	109/654	5वीं पास
115.	सहायक कारीगर-भी की मिठाईयां का	89/534	5वीं पास
116.	कारीगर-भी की मिठाईयां बनाने वाला	114/684	5वीं पास
117.	सहायक कारीगर- काजू और सूखे मेवे की मिठाई का	84/504	5वीं पास
118.	कारीगर- काजू और सूखे मेवे की मिठाई का	109/654	5वीं पास
119.	सहायक कारीगर- दूध व मेवे की मिठाई का	84/504	5वीं पास
120.	कारीगर- दूध व मेवे की मिठाई का	109/654	5वीं पास
121.	सहायक कारीगर- नमकीन व सेवड़े का	84/504	5वीं पास
122.	कारीगर- नमकीन व सेवड़े का	109/654	5वीं पास
123.	सहायक कारीगर- भारतीय नमकीन	89/534	5वीं पास
124.	कारीगर- भारतीय नमकीन	114/684	5वीं पास
125.	सहायक कारीगर- उत्तरी भारतीय खाद्य	89/534	5वीं पास
126.	कारीगर- उत्तरी भारतीय खाद्य	114/684	5वीं पास
127.	सहायक कारीगर- दक्षिण भारतीय खाद्य	84/504	5वीं पास
128.	कारीगर- दक्षिण भारतीय खाद्य	109/654	5वीं पास
129.	सहायक कारीगर- भारतीय व चाईना खाद्य	84/504	5वीं पास
130.	कारीगर- भारतीय व चाईना खाद्य	109/654	5वीं पास
131.	सहायक कारीगर- महाद्वीपीय भोजन	84/504	5वीं पास
132.	कारीगर- महाद्वीपीय भोजन	109/654	5वीं पास
133.	सहायक कारीगर- भारतीय चाट	84/504	5वीं पास
134.	कारीगर- भारतीय चाट	109/654	5वीं पास
135.	सहायक कारीगर- भारतीय खाद्योपरान्त भोजन	74/444	5वीं पास
136.	कारीगर- भारतीय खाद्योपरान्त भोजन	89/534	5वीं पास
19	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी		
137.	स्क्रीन रिडिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रशिक्षण जैसे जे०ए०डब्ल्यूए०ए० ए०नबी०डी०ओ०, ओ० लो० के लिए एफ०ए०ए०ए० पढ़ना	104/624	10वीं पास
20	जूट विधिक उत्पाद		
138.	जूट उत्पादों के निर्माता	30/180	5वीं पास
139.	कपड़ों की थैलियों के कारीगर सह निर्माता	57/342	5वीं पास
140.	साजावटी वस्तुओं के कारीगर सह निर्माता	57/342	5वीं पास
21	नर्सिंग एवं चिकित्सा		
141.	अस्पताल की देखरेख	70/420	8वीं पास
142.	स्वास्थ्य देखभाल हेतु बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	79/474	10वीं पास
22	पौषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा		
143.	समूदाय पौषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा में प्रमाण पत्र	79/474	जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास
23	रंग		
144.	दीवार की पुताई वाला	39/234	5वीं पास
145.	लकड़ी की पुताई वाला	49/294	5वीं पास
146.	धातु की सतह पर पुताई वाला	44/264	5वीं पास
147.	रंगे द्वारा पुताई वाला	34/204	5वीं पास
24	कागज के उत्पाद		
148.	दोने पत्तल निर्माण	24/144	5वीं पास
149.	कप और गिलास निर्माण	20/120	5वीं पास
150.	हस्तनिर्मित कागज उत्पादन	30/240	5वीं पास
151.	पेपर मशीन उत्पादों का निर्माण	30/240	5वीं पास
25	छपाई		
152.	स्क्रीन प्रिंटिंग	49/294	8वीं पास
26	पथर शिल्प		
153.	पथर स्मारकों की पुर्वावस्था और संरक्षण	125/750	विज्ञान स्नातक
154.	शिल्पकारी	125/750	7वीं पास
155.	शिल्पकारी के लिए मशीनें	125/750	7वीं पास
27	खिलौना निर्माण (सॉफ्ट टॉयज)		
156.	खिलौना सिलने वाली सामान्य मशीन प्रचालक (सॉफ्ट टॉयज)	64/384	5वीं पास
157.	स्टफर और विलोवर (सॉफ्ट टॉयज)	29/174	5वीं पास
158.	अंतिम कार्य और चित्रकारी (सॉफ्ट टॉयज)	34/204	5वीं पास
159.	डिब्बाबंद करना (सॉफ्ट टॉयज)	19/114	5वीं पास
28	बहु कोशल		
160.	हेम्पडम सह गैस स्टोव मिस्ट्री	24/144	8वीं पास
161.	बेर खाद्य अभियन्ता	125/750	12वीं पास विज्ञान के साथ
29.	विविध		
162.	मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए आजिविका उत्पादक मशीनों का संचालन	104/624	5वीं पास

कविता

एकल नारी अब सशक्त हो गई

एकल नारी शक्ति संगठन का
हुआ जब से उद्भव व विकास,
जानकारी से पूर्ण हो गई,
एकल नारी अब सशक्त हो गई।

संगठन की एकल बहनों ने
ऐसा किया कमाल,
जागृत कर महिला शक्ति,
परिचय विशाल।

शहर-शहर कस्बा-कस्बा
पहुंची अब वो ढाणी-ढाणी,
लेकर जानकारी महिला अधिकारों की,
अलख जगाये एकल नारी।

पाकर सम्मान जीवन भर का,
जीवन की दुविधाओं से मुक्त हो गई,
एकल नारी अब सशक्त हो गई।

मिला समस्त एकल नारी को
यह संबल और विश्वास,
कर समस्याओं का निराकरण,
जगाई बहनों में जीने की आस।

अपनी व्यथा को अब वो,
संगठन से बांटती है,
समाधान भी वो अब,
मिलकर निकालती है।

अपनी लड़ाई अब वो,
स्वयं लड़ना सीख गई,
सचमुच वो अपना,
जीवन जीना सीख गई।

एकल नारी का यह संगठन
अब एक परिवार बन गया,
लहरा कर वो अपना परचम,
एकल बहना का संसार बन गया।

संगठन की सोच को लेकर वो,
बेड़ियों से मुक्त हो गई,
एकल नारी अब सशक्त हो गई।

परित्यक्ता पेंशन के नियम हेतु सरकारी आदेश

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर मार्ग, जयपुर।

क्रमांक: एफ 09(05) (12-1) सान्याअवि/2013-14/460146 जयपुर दिनांक: 24-05-2013

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन
नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अध्याय: 3 के नियम 4 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या (ड.)
निम्नानुसार प्रतिस्थापित/संशोधित किया जाता है:-

(ड.) ऐसी महिलाएँ, जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही हैं, एवं पति से
कोई सम्बन्ध नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र की उक्त परित्यक्ता महिलाओं को, सरपंच, ग्रामसचिव एवं पटवारी
की संयुक्त-रिपोर्ट के आधार पर एवं शहरी क्षेत्र की उक्त परित्यक्ता महिलाओं को
स्थानीय नगर निकाय का अधिशासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका प्रतिनिधि
अधिकारी एवं वार्ड मेम्बर/ वार्ड पार्शद एवं स्थानीय निकाय का स्वास्थ्य/सफाई निरीक्षक को संयुक्त
रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के द्वारा परित्यक्ता का प्रमाण पत्र
जारी किया जा सकेगा।

तत्पश्चात प्रति वर्ष परित्यक्ता महिला को पेंशन स्वीकृति अधिकारी को इस
आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वह अपने पति से गत तीन वर्ष से अधिक समय
से अलग रह रही है एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है।"

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख सारन सचिव

24/5/13

मेरी कल्पना

संगठन की बहनों ने अपने मन की खूबसूरत कल्पनाओं को अपनी कलम में द्वारा कागज पर
उकेर कर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया है। इन कल्पनाओं की चित्रकारी में उनका
अपने संगठन, अपने आराध्य, अपने परिवार व अपने संगठन बहनों के लिए प्यार व सोच इन
चित्रों में देखी जा सकती है।



राज्य स्तरीय सदस्य बैठक आयोजित



राज्य स्तरीय सदस्य बैठक में रिपोर्ट पढ़ने के पश्चात् जोश के साथ नारे लगाते हुए सदस्य

भीलवाड़ा, 25 मार्च। हम सब एक हैं, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं... इस प्रकार के जोश पूर्ण नारों व संगठन के गीतों के साथ दिनांक 25 से 26 मार्च, 2015 को सवाई मानसिंह धर्मशाला, भीलवाड़ा जिले में संगठन की दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें 33 जिलों के 65 राज्य स्तरीय कमेटी सदस्यों ने भाग लिया।

राज्य स्तरीय कमेटी सदस्य बैठक वर्ष में तीन बार आयोजित की जाती हैं इस बैठक के मुख्य उद्देश्य संगठन के कार्यों का प्रस्तुतिकरण, संगठन के सदस्य, बिल्ला वितरण, विशेष केस व समस्याएँ सुनना व समाधान, संगठन सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ, आगामी कार्य आयोजना बनाना, नये नीति, नियम बनाना व लागू करना अन्य जन आन्दोलनों के साथ संपर्क व नेटवर्किंग, नयी सरकारी योजनाओं की जानकारी व आगामी एडवोकेसी के बिन्दु निकालना व एकल महिलाओं की मांगों व मुद्दों पर एडवोकेसी करने हेतु आयोजना बनाना व अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी की रिपोर्टिंग व अनुभव सुनना आदि।

बैठक में जिलेवार संगठन के चार माह के कार्यों के प्रस्तुतिकरण में निकल कर आया कि संगठन के चार माह में 1,325 नये सदस्य बने और संगठन के कुल सदस्य अब 48,105 हो चुके हैं।

स्त्री शक्ति पुरस्कार सेलिब्रेशन के अनुभव जीनी जी द्वारा बताये गये। जिसके अंतर्गत 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा आस्था संस्थान को महिला व एकल महिलाओं के राज्य से राष्ट्रीय सशक्तिकरण हेतु 3,00,000.00 रुपये की राशि व स्त्री शक्ति पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रदान किया गया।

आगामी वर्ष में एकल महिलाओं के लिए आजिविका व रोजगार के लिये कार्य करने व कोर्स पर चर्चा कर आयोजना बनाई गई। विशेष सम्मेलन

की आयोजना तय की गई जिसमें निकल कर आया की अगला राज्य स्तरीय विशेष सम्मेलन किसान एकल महिलाओं का किया जायेगा। साथ ही बैठक में अन्य जनआन्दोलन व अन्य संस्था/संगठनों की भागीदारी को लेकर अनुभव बांटे गये। आगामी एकल महिलाओं के मुद्दों पर की जाने वाली पैरवी की मांगों पर चर्चा की गई।

बैठक में वन बिलियन राईजिंग (उमड़ते सौ करोड़) पर चर्चा की गई कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर महिला हिंसा को रोकने हेतु कुछ कार्यक्रम आयोजित किये गये। संगठन में बजट की कमी को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिये गये। जिसमें तय किया गया कि अब

राज्य स्तर बैठक व जिला स्तरीय सदस्य बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। पत्रिका के साथ राजस्थान में एस0आर0 अभियान के बारे में बताया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन, उनकी उपस्थिति, स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति व उपस्थिति, साफ पानी, बिजली, शौचालय, साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था आदि के बारे में आर्टीआई के माध्यम से जानेंगे। साथ ही शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चे गरीब लोगों के पढ़ रहे हैं या नहीं मालूम करेंगे व प्राइवेट स्कूलों में मालूम करेंगे कि कितने प्रवेश दिये गये हैं व कितनी सीटें खाली हैं। खाली सीटों पर एकल बहनों के बच्चों को हम दाखिला दिला सकते हैं।

संगठन कार्यकर्ता प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया गया साथ ही मिलन मेले के अनुभव भी साझा किये गये। इसके पश्चात् बैठक के समापन पर अगली राज्य स्तरीय सदस्य बैठक की दिनांक तय की गई जिसमें बताया गया कि अगली राज्य स्तरीय सदस्य बैठक दिनांक 28 से 29 सितम्बर, 2015 को उदयपुर में आयोजित की जायेगी। इसके बाद गीत व नारों

आपके सुझाव आमंत्रित हैं

प्रिया साथियों एवं बहनों, एकल नारी की आवाज आपका अपना अखबार है। भविष्य में एकल नारी की आवाज को आप किस रूप में देखना चाहते हैं तथा एकल नारी के किन मुद्दों व विषयों पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है, इन सभी पहलुओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। एकल नारी की आवाज के लिए आपकी ओर से भेजे जाने वाले आपके सुझाव आमंत्रित हैं। यह सुझाव आप हमें एकल नारी शक्ति संगठन के दिये गये पते पर भेज सकते हैं।

एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	सदस्य
1.	अजमेर	9	4375
2.	राजसमंद	5	2107
3.	सिरोही	3	956
4.	झुंजरपुर	5	1323
5.	बांसवाड़ा	6	844
6.	उदयपुर	8	3519
7.	भीलवाड़ा	6	2621
8.	जोधपुर	5	1216
9.	नागौर	4	2200
10.	जालोर	2	968
11.	पाली	5	1781
12.	चित्तौड़गढ़	5	980
13.	टोंक	5	1301
14.	बारां	6	2726
15.	बूंदी	4	1464
16.	अलवर	3	1094
17.	सवाईमाधोपुर	5	1432
18.	जयपुर	4	1503
19.	कोटा	6	2486
20.	दौसा	4	1311
21.	बाड़मेर	4	917
22.	सीकर	4	930
23.	चुरू	3	2114
24.	झालावाड़	6	3089
25.	जैसलमेर	3	1313
26.	करौली	3	847
27.	प्रतापगढ़	4	837
28.	भरतपुर	3	784
29.	बीकानेर	2	249
30.	हनुमानगढ़	2	370
31.	झुंझनू	2	161
32.	धोलपुर	2	171
33.	गंगानगर	2	116
कुल योग		140	48,105

यदि कोई एकल महिला, एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में कोई जानकारी चाहती है या सदस्य बनना चाहती है, अथवा अपने क्षेत्र को संगठन से जोड़ना चाहती है तो वह निम्न पते पर सम्पर्क करें -

एकल नारी शक्ति संगठन

- : पता :-

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर-313004 (राज.)

फोन :0294-2451348 फैक्स :0294-2451391

3-पीपल्स हाऊस, सिविल लाईन, कोटा -324008

फोन : 0744-2450726 फैक्स : 0744-2329536

ईमेल : astha39@gmail.com

ईमेल : enss_kota@yahoo.com

ईमेल : ensskota@gmail.com

ईमेल : enssrajasthan@gmail.com

Website: www.strongwomenalone.org

सेवा में,

बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती

पता

पिन कोड